रिपोर्टयोग्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

आपराधिक अपीलीय न्यायपालिका

आपराधिक अपील सं**. 2023** का **2195**

(2022 का एसएलपी **(**क्रिमि**)** नं**.6537** से उत्पन होते हुए**)**

संदीप कुमार **.....**अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य **.....**प्रतिवादीगण

निर्णय

सुधांशु धूलिया**, जे.**

छूट प्रदान की गई।

2. श्री राम नरेश यादव ने अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता के अधिवक्ता, श्री विशाल महाजन, राज्य के उप महाधिवक्ता/प्रतिवादी संख्या 1 और श्री श्रीयश यू. ललित प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता।

3. इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता मामले में सूचना देनेवाला था और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 के साथ पठित आईपीसी 1860 की धारा 458, 460, 323, 302, 148, 149 और 285 के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिरसा, हरियाणा के समक्ष आयोजित किए जा रहे सत्र मुकदमे नं. 8/2018 में अभियोजन पक्ष का गवाह (पी. डब्ल्यू.-9) था। यह घटना हरियाणा के सिरसा में 07.09.2017 को आधी रात 12:30 बजे की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट से पता चलता है कि कुल पंद्रह हमलावर थे जिन्होंने आधी रात को शिकायतकर्ता के घर को तोड़ दिया था और घर के निवासियों पर हमला करने के लिए आए थे।इन हमलावरों में से सात का नाम लिया गया है जो लाठी से लैस थे और तीन नामित हमलावर/आरोपी क्रमशः रमेश

गांधी, कालू जाखर और पवन बंदूक और पिस्तौल से लैस थे।पुलिस ने जांच के बाद नौ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, लेकिन रमेश गांधी, कालू जाखर या पवन के खिलाफ नहीं, जिनके नाम आरोप पत्र के कॉलम 2 में रखे गए थे।मुकदमा शुरू होने के बाद और शिकायतकर्ता से पीडब्लू-9 के रूप में पूछताछ की जा रही थी, उसने अपने एग्जामिनेशन-इन-चीफ में एक चश्मदीद गवाह के रूप में पूरी घटना का खुलासा किया, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से इन तीन हमलावरों को भी भूमिका सौंपी है, जिनका नाम प्राथमिकी में था लेकिन आरोप पत्र में आरोपी नहीं बनाया गया था, अर्थात् रमेश गांधी (प्रतिवादी संख्या 2), कालू जाखर और पवन।

4. इसके तुरंत बाद अपीलकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें इन तीन व्यक्तियों रमेश गांधी, कालू जाखर और पवन को आरोपी के रूप में तलब किया गया था ताकि वे भी मुकदमे का सामना कर सकें। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि इस आवेदन की अनुमति दी गई थी, लेकिन आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन में दरकिनार कर दिया गया था।

इससे पहले कि हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के दायरे की जांच करें, शिकायतकर्ता पीडब्लू-9 द्वारा अपनी एग्जामिनेशन-इन-चीफ में दिए गए बयान को पढ़ना प्रासंगिक होगा क्योंकि यह तीन व्यक्तियों को बुलाने का आधार है। पीडब्लू-9 ने अपने एग्जामिनेशन-इन-चीफ में कहा है कि 07.09.2017 को , वह अपने छोटे भाई प्रदीप कुमार और अपने चचेरे भाई बिजेंद्र के साथ रात का खाना खाने के बाद अपने घर के कोर्ट यार्ड में सो रहा था।उनके पिता हनुमान (मृतक) भी कोर्ट यार्ड में सो रहे थे।घर के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा हुआ था।उनके चाचा सुभाष, जयबीर और राज कुमार भी अपने घरों में सो रहे थे।लगभग 12:30 बजे, यानी आधी रात को पंद्रह लोग हाथों में लाठी और डंडा लेकर उनके घर में चेन तोड़कर बगल के कमरे से घुस गए। दोनों के हाथ में पिस्तौल थी जो बल्ब की रोशनी में देखी जा सकती थी। इसके बाद वह आगे कहते हैं कि रमेश गांधी के पास बंदूक थी, कालू जाखर और पवन पिस्तौल से लैस थे और बाकी के पास लाठियां और डंडे थे।उन्होंने पहले आह्वान किया और फिर उन सभी को पीटना शुरू कर दिया और धमकी दी कि आज वे उन्हें सबक सिखाएंगे, शराब बेचने के लिए।जब वे उन तीनों पर प्रहार कर रहे थे तो उनके

पिता हनुमान उनके बचाव में आए, जिन पर सुभाष ने अपनी लाठी से प्रहार किया। फिर वह कहता है कि सभी आरोपी उसके पिता को चोट पहुँचा रहे थे, और जब वे आखिरकार घर से निकले, तो वे अपने हथियारों से गोलीबारी करने के बाद चले गए। ये उनके थोड़े लंबे कथन के आवश्यक विवरण हैं।

सीआरपीसी की धारा 319 निम्नानुसार है:

> **"319. अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति।-**
>
> (1) जहां, किसी अपराध की किसी जांच या मुकदमे के दौरान, साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है, ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति के खिलाफ उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकता है जो उसने किया प्रतीत होता है।
>
> *(2)* जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है, उसे उपरोक्त उद्देश्य के लिए, मामले की परिस्थितियों के अनुसार, गिरफ्तार किया जा सकता है या तलब किया जा सकता है।
>
> *(3)* न्यायालय में उपस्थित होने वाला कोई भी व्यक्ति, हालांकि गिरफ्तारी या समन पर नहीं है, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध की जांच या मुकदमे के उद्देश्य से हिरासत में लिया जा सकता है जो उसने किया प्रतीत होता है।
>
> *(4)* जहां न्यायालय उप-धारा *(1)* के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करता है, वहां
>
> *(क)* ऐसे व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही नए सिरे से शुरू की जाएगी और गवाहों की फिर से सुनवाई की जाएगी;
>
> *(ख)* खंड *(क)* के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मामला इस तरह आगे बढ़ सकता है जैसे कि ऐसा व्यक्ति एक अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने

उस अपराध का संज्ञान लिया था जिस पर जांच या मुकदमा शुरू किया गया था।

धारा 319 की उप-धारा (1) इसे न्यायालय के न्यायिक विवेकाधिकार पर छोड़ देती है, जहां विचारण किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में समन करने के लिए आगे बढ़ रहा है (जो अब तक विचारण में अभियुक्त नहीं है), यदि न्यायालय के समक्ष साक्ष्य सामने आया है कि ऐसे व्यक्ति ने कोई अपराध किया है जिसके लिए उस पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।यह न्यायिक विवेकाधिकार उन परिस्थितियों से बेहद सीमित है जो धारा 319 की उप-धारा (1) में बताई गई हैं। हम पहले ही पीडब्लू-9, (एक चश्मदीद गवाह) द्वारा अपने एग्जामिनेशन-इन-चीफ में दिए गए बयान का उल्लेख कर चुके हैं।हमारे विचार से न्यायालय के पास अभियुक्त व्यक्तियों को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, यह देखते हुए कि अब उसके पास पीडब्लू-9 के बयान के रूप में एक सबूत है।

तीन अभियुक्तों में से समन आदेश के अनुसार, जिन्हें उनमें से केवल एक को बुलाया गया है, अर्थात रमेश गांधी, जो प्रतिवादी संख्या.2 हैं, ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक संशोधन दायर किया था, जिसे दिनांक 02.03.2022 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी।

हमारी सुविचारित राय में उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 319 के सही परिप्रेक्ष्य में मामले की सराहना नहीं की है। श्री रमेश गांधी (जिन तीन अभियुक्तों को तलब किया गया था, उनमें से एक) के संशोधन की अनुमति इस कारण से दी गई थी कि वह जांच के दौरान निर्दोष पाए गए थे और उन्होंने कभी बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया था और वास्तव में मौके से भाग गए थे।ये टिप्पणियां तथ्यात्मक रूप से भी गलत हैं, जो हमने अभी-अभी पीडब्लू-9 की एग्जामिनेशन-इन-चीफ में देखा है, संशोधनवादी एक "गैरकानूनी सभा" द्वारा अपराध के अपराध करने के बाद ही घटनास्थल से भाग गया था। उनके बयान (पीडब्लू-9) में यह भी सामने आया है कि घर से निकलते समय गोलीबारी भी की गई थी।इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा संशोधनवादी को निर्दोष घोषित करते हुए उसके पक्ष में पूरी तरह से अनुचित अनुमान लगाया गया है।

उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित तर्क दिया हैः -

> "याचिकाकर्ता को जांच के दौरान निर्दोष पाया गया।यह रिकॉर्ड पर भी स्थापित नहीं किया जा सका कि क्या याचिकाकर्ता को किसी चोट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था और यहां तक कि शिकायतकर्ता के स्वयं के संस्करण के अनुसार, याचिकाकर्ता कथित रूप से मौके से भाग गया था।इस प्रकार, अभिलेख पर सामग्री, याचिकाकर्ता को अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में बुलाने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं बनाती है।
>
> इस मामले को दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है।यह शिकायतकर्ता का मामला है कि बंदूक से लैस याचिकाकर्ता अन्य सह-अभियुक्तों के साथ घटना स्थल पर आया था।हालाँकि, यह आम विवेक के लिए प्रतीत नहीं होता है कि एक व्यक्ति जो बंदूक के साथ मौके पर पूर्व-मध्यस्थ दिमाग के साथ आता है, वह बिना गोली चलाए या गोली चलाने का प्रयास किए भाग जाएगा।यह स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के गलत निहितार्थ की ओर इशारा करता है।"

हमारी राय में, जबकि निचली अदालत ने पीडब्लू-9 के साक्ष्य के आधार पर आरोपी को तलब करना बिल्कुल सही था, उच्च न्यायालय ने आरोपी के पुनरीक्षण की अनुमति देने में गंभीर त्रुटि की।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत और धारा 319 के तहत अदालत की शक्तियों के आधार पर और पीडब्लू-9 के साक्ष्य के आधार पर, निचली अदालत के लिए संशोधनवादी सहित तीन अभियुक्तों को तलब करना बिल्कुल आवश्यक था।

उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क को धारा 319 सीआरपीसी के तहत आवेदन पर विचार के चरण में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। साक्ष्य के गुण-दोष की सराहना केवल मुकदमे के दौरान, गवाहों की प्रतिपरीक्षा और न्यायालय की जांच द्वारा की जानी चाहिए। यह धारा 319 के स्तर पर नहीं किया जाना है, हालांकि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने ठीक यही किया है।इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य की सराहना नहीं की कि अभियुक्तों पर आईपीसी की धारा 458,460,323,285,302,148 और 149 के तहत आरोप लगाए गए थे। इस प्रकार,

आरोपों में से एक धारा 149 है, जो आईपीसी की धारा 149 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए एक गैरकानूनी सभा का सदस्य होने का आरोप है, बस एक गैरकानूनी सभा का हिस्सा होना चाहिए।कोई विशिष्ट व्यक्तिगत भूमिका या कार्य भौतिक नहीं है।[देखिए: 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 632-**मंजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य**, पैरा 38].

आईपीसी की धारा 149 (आईपीसी की धारा 141 के साथ पठित) के एक सादे पाठ से यह स्पष्ट होता है कि गैरकानूनी सभा के सदस्य को कोई स्पष्ट कार्य सौंपने की आवश्यकता नहीं है।"भले ही आईपीसी की धारा 149 के तहत आरोप लगाए जाने पर किसी विशेष व्यक्ति पर कोई स्पष्ट कार्य नहीं लगाया जाता है, लेकिन एक गैरकानूनी सभा के हिस्से के रूप में आरोपी की उपस्थिति दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है।" *[*देखिए: **यूनिस उर्फ करिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य,** एआईआर *2003* एससी *539]* आपराधिक कदमे का पूरा उद्देश्य मामले की सच्चाई तक जाना है।

एक बार जब न्यायालय को संतोष हो जाता है कि उसके सामने सबूत है कि किसी अभियुक्त ने अपराध किया है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।अभियुक्त को समन भेजने के चरण में, न्यायालय को प्रथम दृष्टया संतुष्टि मिलनी चाहिए।न्यायालय के समक्ष जो साक्ष्य था वह एक चश्मदीद गवाह का था जिसने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा है कि संशोधनवादी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ एक अपराध किया गया है।अदालत को इस गवाह से जिरह करने की आवश्यकता नहीं है।यह उस स्तर पर ही मुकदमे को रोक सकता है यदि ऐसा आवेदन धारा 319 के तहत दायर किया गया था।गवाह और अन्य गवाहों की विस्तृत जाँच मुकदमे का एक विषय है जिसे नए सिरे से शुरू करना है। सीआरपीसी की धारा 319 के दायरे और विस्तार पर चर्चा की गई है और (2014) 3 एससीसी 92 में रिपोर्ट किए गए **हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य** के संविधान पीठ के फैसले में विस्तार से निपटा गया है, जिसमें कहा गया है:

> *"12.* धारा *319* सीआरपीसी जुडेक्स डैमनाचर कम नोसेंस एब्सोल्विटुर *(*दोषी के बरी होने पर न्यायाधीश की निंदा की जाती है*)* सिद्धांत से निकलती है और इस सिद्धांत का उपयोग धारा *319* सीआरपीसी के

> अधिनियमन के दायरे और भावना को समझाते हुए एक प्रकाशस्तंभ के रूप में किया जाना चाहिए।
>
> *13.* असली अपराधी को दंडित करके न्याय करना अदालत का कर्तव्य है। जहां जांच एजेंसी किसी भी कारण से वास्तविक दोषियों में से किसी एक को आरोपी के रूप में प्रस्तुत नहीं करती है, अदालत उक्त आरोपी को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने में असमर्थ नहीं है।

5. **हरदीप सिंह** (उक्त) में, इस अदालत ने आगे कहा कि अदालत को केवल धारा 319 की स्थिति को देखना है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बनता है, हालांकि संतुष्टि का स्तर बहुत अधिक होना चाहिए।

> *"95.* संज्ञान लेते समय, अदालत को यह देखना होता है कि क्या आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। सीआरपीसी की धारा *319* के तहत, हालांकि प्रथम दृष्टया मामले का परीक्षण समान है, लेकिन संतुष्टि की मात्रा जो आवश्यक है वह बहुत सख्त है। विकास बनाम राजस्थान राज्य मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय की वस्तुनिष्ठ संतुष्टि पर किसी व्यक्ति को "गिरफ्तार" या "समन" किया जा सकता है, जैसा कि मामले की परिस्थितियों के लिए आवश्यक हो सकता है, यदि यह साक्ष्य से प्रतीत होता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है, उसने कोई अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर पहले से ही आरोपित अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है।

पैरा 106 में यह निम्नानुसार कहा गया हैः

> इस प्रकार, हमारा मानना है कि यद्यपि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से केवल एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, आवश्यक रूप से प्रतिपरीक्षा के आधार पर परीक्षण नहीं किया जाता है, लेकिन इसके लिए उसकी संलिप्तता की केवल संभावना की तुलना में बहुत अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता होती है। जिस परीक्षण को लागू किया जाना है वह ऐसा है जो आरोप तय करने के समय प्रयोग किए गए प्रथम

> दृष्टया मामले से अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि से कम है कि यदि साक्ष्य का खंडन नहीं किया जाता है, तो दोषसिद्धि होगी।इस तरह की संतुष्टि के अभाव में, अदालत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *319* के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *319* में यह प्रावधान करने का उद्देश्य है कि यदि "साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है जो अभियुक्त नहीं है" तो यह उन शब्दों से स्पष्ट है "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता है"। उपयोग किए गए शब्द ऐसे नहीं हैं जिनके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है।इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा *319* के तहत कार्य करने वाली अदालत के लिए आरोपी के अपराध के बारे में कोई राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है।"

हमारी सुविचारित राय में, अभियोजन पक्ष ने धारा 319 सीआरपीसी के तहत तीनों को आरोपी के रूप में बुलाने के लिए अपना मामला पूरी तरह से तैयार कर लिया था, ताकि वे भी मुकदमे का सामना कर सकें।

6. इन परिस्थितियों में, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के दिनांकित 02.03.2022 के आदेश को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है।यह भी निर्देश दिया जाता है कि मुकदमा अब कानून के अनुसार, जितनी जल्दी हो सके, आगे बढ़ेगा।

.....जे.
[सी. टी. रविकुमार]

..... जे.
[सुधांशु धूलिया]

नई दिल्ली**,**
28 जुलाई**, 2023**।

अस्वीकरणः स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा